

निगम के झोन प्रभारी व वार्ड दरोगा हुए वायरलैस वॉकी.टॉकी से लैस निगम आयुक्त श्री झारिया निगम सभागृह में किया वॉकी.टॉकी का वितरण

रतलाम 18 दिसम्बर । नगर की सफाई व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने तथा सफाई संबंधी शिकायतों का तत्काल निराकरण करने के उद्देश्य से निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम के झोन प्रभारी व 49 वार्ड दरोगाओं को वायर लैस वॉकी टॉकी से लैस किया।

निगम सभागृह में वायर लैस वॉकी.टॉकी झोन प्रभारी व वार्ड दरोगाओं को प्रदान किये जाने के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने वॉकी.टॉकी उपयोग के बारे में जानकारी देते हुए निर्देशित किया कि वॉकी.टॉकी का उपयोग स्वयं करें अन्य किसी व्यक्ति या घर का कोई भी सदस्य इसका उपयोग नहीं करेगा। वॉकी.टॉकी को 24 घण्टे चालू अवस्था में रखना अनिवार्य होगा इसके अलावा लम्बी छुट्टी जाने पर वॉकी टॉकी को निगम कार्यालय में जमा कराना होगा। उन्होंने कहा कि सभी को अलग-अलग नम्बर के वॉकी.टॉकी प्रदान किये गये हैं इसलिये एक दूसरे से बदले नहीं इसका विषेश रखा जाये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि निगम के झोन प्रभारी व वार्ड दरोगाओं के वायरलैस वॉकी.टॉकी से लैस होने पर सफाई कार्य पर नियंत्रण होकर प्रतिदिन होने वाले सफाई कार्य की जानकारी प्राप्त होकर कार्य त्वरित गति से होगा साथ ही सफाई संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत का तत्काल निराकरण किया जा सकेगा।

उक्त अवसर पर उपायुक्त कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए श्री मोहम्मद हनीफ़ शैखए स्वास्थ्य अधिकारी श्री जीकेए जायसवालए प्रभारी सहायक यंत्री श्री एसपीए आचार्यए सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री एपीए सिंहए उपयंत्री श्री मनीश तिवारीए निज सहायक श्री सुभाश गोयलए झोन प्रभारी सर्वश्री किरण चौहानए पर्वत हाड़ेए विनय चौहान आदि उपस्थित थे।

खुले में गंदगी करने पर 5 व्यक्तियों पर जुर्माना
मास्क नहीं लगाने पर 52 व्यक्तियों पर जुर्माना

नागरिक अनिवार्य रूप से मास्क लगायें

गंदगी करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 18 दिसम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं मलबा डालकर अतिक्रमण करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 18 दिसम्बर को 5 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर केशव विनोद रियाज कृषि उपज मण्डी पर 100₹ किशन रमेश महु रोड पर 50. 50 रुपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईष दी।

इसके अलावा नगर विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क वाले 52 व्यक्तियों पर 100.100 रुपये का स्पॉट फाईन पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाईष दी गई।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों दुकानदारों आदि की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री एण्पी सिंह मोण नं 7471144930₹ झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मोण नं 7471144931₹ श्री किरण चौहान मोण नं 7471144932₹ श्री विनय चौहान मोण नं 8770535145₹ श्री विराट मेहरा 9770326691₹ स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मोण नं 7000128812₹ आकाश षिन्दे मोण नं 9424075393₹ 7724981736 मनोज झांझोट मोण नं 6268449110₹ राकेश ललावत मोण नं 7000128812 को देकर नगर को साफ स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

नगर के विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाये

रतलाम 18 दिसम्बर। सर्द रातों में नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाल चिकित्सालय जिला चिकित्सालय पांजरा पोल महु रोड बस स्टैण्ड रेलवे स्टेशन कालिका माता नगर निगम फायर ब्रिगेड चांदनी चौक सहित नगर के विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं चौराहों पर गत रात्रि अलावा जलाये गये।

नगर निगम द्वारा सोमवार से वार्ड वार बकाया वसूली षिविरो का आयोजन

रतलाम 18 दिसम्बर । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर 18 जनवरी से आयोजित किये गये हैं जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण ए जलकरण दुकान ए गुमटी किराया ए लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भूभाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 1 ए 2 व 3 के लिये 20 से 21 दिसम्बर तक गांधीनगर उद्यान के पास ए वार्ड क्रमांक 1 ए 2 व 3 के लिये 22 दिसम्बर को मालवा नगर लक्ष्मणपुरा ए वार्ड क्रमांक 4 ए 5 ए 6 ए 8 व 13 के लिये 23 से 24 दिसम्बर तक अम्बे माता मंदिर जवाहर नगर ए वार्ड क्रमांक 4 व 5 के लिये 27 व 28 दिसम्बर को विनोबा नगर पानी की टंकी के पास ए वार्ड क्रमांक 5 ए 6 व 7 के लिये 29 से 30 दिसम्बर तक अलकापुरी कम्प्यूनिटी हॉल ए वार्ड क्रमांक 9 के लिये 31 दिसम्बर को तिरूपति नगर ए वार्ड क्रमांक 8 के लिये 1 जनवरी को कोमल नगर मेन रोड ए वार्ड क्रमांक 5 ए 7 व 9 के लिये 3 से 4 जनवरी को मार्निंग स्टार स्कूल ए वार्ड क्रमांक 12 के लिये 5 से 7 जनवरी तक कस्तुरबा नगर सारस्वतजी के मकान के सामने ए वार्ड क्रमांक 12 के लिये 8 जनवरी को प्रियदर्शनी नगर ए वार्ड क्रमांक 11 के लिये 10 से 11 जनवरी तक को डोंगरे नगर ए वार्ड क्रमांक 46 ए 47 व 48 के लिये 12 जनवरी को हाट रोड माताजी का मंदिर ए वार्ड क्रमांक 11 के लिये 13 जनवरी को कलीमी कालोनी ए वार्ड क्रमांक 18 के लिये 14 जनवरी को राजेन्द्र नगर ए वार्ड क्रमांक 14 ए 15 ए 46 व 48 के लिये 15 व 17 जनवरी को डॉ० मेहरा नर्सिंग होम काटजू नगर ए वार्ड क्रमांक 46 व 48 के लिये 18 जनवरी को वेदव्यास कालोनी ए वार्ड क्रमांक 22 के लिये 19 जनवरी को कल्याण नगर ए वार्ड क्रमांक 18 ए 19 व 20 के लिये 20 से 21 जनवरी तक दीनदयाल नगर ए वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लिये 22 ए 24 व 25 जनवरी को बोहरा बाखल ए वार्ड क्रमांक 23 व 44 के लिये 27 जनवरी को रामगढ़ ए वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लिये 28 ए 29 व 31 जनवरी को लक्कड़पीठा प्याऊ के पास ए वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 1 से 3 फरवरी तक आर्य समाज मंदिर धानमण्डी ए वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 4 से 5

फरवरी तक जूनी कोर्ट किरण टॉकिजए वार्ड क्रमांक 28ए 29ए 36ए 37 व 38 के लिये 7 से 8 फरवरी तक लॉ कॉलेज आनंद कालोनीए वार्ड क्रमांक 28 के लिये 9 फरवरी को प्रताप नगर उद्यान के पासए वार्ड क्रमांक 22 के लिये 10 फरवरी को महावीर नगरए वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लिये 11 से 12 फरवरी तक पैलेस रोड तिराहाए वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लिये 14 फरवरी को चौगानिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लिये 15 व 16 फरवरी को शिक्षा विभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेश देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25ए 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

18 दिसम्बर को 78 टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहुचा रतलाम 18 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे^० चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 18 दिसम्बर शनिवार को 78 टन से अधिक कचरा जुलवानिया टे^० चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

18 दिसम्बर शनिवार को डम्पर से 28560ए टे^० कटर से 13870ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 19735 व काम्पेक्टर गीला कचरा 16265 किलो इस तरह कुल 78430 किलो कचरा जुलवानिया टे^० चिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

6390 पेंशन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

पेंशन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें
रतलाम 18 दिसम्बर । रतलाम शहर के सामाजिक सुरक्षाए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय
वृद्धा पेंशनए राष्ट्रीय विधवा पेंशनए राष्ट्रीय निःशक्त पेंशनए सामाजिक सुरक्षा वृद्धा
पेंशनए विधवा पेंशनए निःशक्त पेंशनए मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने
वाले हितग्राहियों का शासन निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके
तहत 18 दिसम्बर शनिवार तक 6390 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर
6375 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

नगर निगम द्वारा पेंशन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे नगर
निगम के आईटी सेल में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना
भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवायें।

2529 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए
स्वरोजगार ऋण से 79 हितग्राही हुए लाभान्वित
पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत
करें

रतलाम 18 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता
जिन्हें प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने
प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हें संकल्प से सिद्धी विशेष
अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर
निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2399
हितग्राहियों को राशि रूपये 10ए000६ तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 130
हितग्राहियों को राशि रूपये 20ए000६ ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है।
एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 76 हितग्राहियों व एनयूएलएम
स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने
हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता
पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 18 दिसम्बर । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 18 दिसम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 18 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर ए हैल्पर ए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर ए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर ए हैल्पर ए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर ए दुकान ए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर ए दुकान ए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी ए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 18 दिसम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है ए जिसके तहत वार्डों की सड़क ए गली ए सार्वजनिक स्थल ए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी ए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी ए कचरे के ढेर ए नाले.नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारी व वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार संविधान हेमन्त 18 12 2021 नपा निगम रतलाम